



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 20, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 09, 2022
Magha 20, Wednesday, Saka 1943- February 09, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2022

एस.ओ.234, 244, 248, 304, :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. 234 दिनांक 03.05.2020, एस.ओ. 244 दिनांक 12.05.2020, एस.ओ. 248 दिनांक 21.05.2020 एवं एस.ओ. 304 दिनांक 27.07.2020 जो राजपत्र में प्रकाशित हुई है एवं जिनमें समय-समय पर यथासंशोधित में, निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 2 एवं उनकी प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"

2.	प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के संचालक यथा राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम, समस्त व्यवसायिक दुकानों आदि द्वारा अपने परिसर के भीतर समस्त कर्मचारी व ग्राहक को समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) की पालना नहीं किये जाने पर।	1000/-
----	--	--------

"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

भवानी शंकर,

वरिष्ठ शासन उप सचिव।